18/3/25	पत्रावली पेश हुयी। अधिवक्ता उभयपक्षकारान हाजिर हैं। पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रा०पत्र अन्तर्गत धारा - 212 राज० काश्तकारी अधि० सपठित धारा 151 एवं सपठित आदेश 39 नियम 1व 2 जा०दी० पेश हुयी है। प्रार्थी अधि० ने दौराने बहस कथन किया कि वादी ने यह

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम
2A बनाम [illegible]

नाम न्यायालय

केस संख्या —01— 40/24

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	
	18/7/24	प्रार्थना-पत्र, दफा बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 लगा. 25 की संयुक्त कब्जे काश्त एवं सहखातेदारी की भूमि वर्तमान खाता सं. 208 ग्राम निवारू, पटवार हलका - निवारू, भू-अभि. नि. क्षे. झोटवाडा तह. व जिला जयपुर में खसरा नं. 161 रकबा 1.9228 है०, खसरा नं. 163 रकबा 0.1897 है०, खसरा नं. 164 रकबा 0.4300 है०, खसरा नं. 165 रकबा 1.6314 है०. खसरा नं. 166 रकबा 1.7799 है० कुल रकबा 5.9944 हैक्टेयर है, जिसमें समान सहखातेदार अपने-अपने	

सहायक कलेक्टर जयपुर प्रथम जयपुर

फर्द अहकाम

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

उनि बनाम कानाराम

संख्या TI 40124

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
18/7/25	हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। वादी / प्रार्थी अधिवक्ता ने अपने प्रा०पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त विवादग्रस्त आराजीयात में पक्षकारों की सहखातेदारी होने से आज तक विधिवत विभाजन नही हुआ है परन्तु फिर भी अप्रार्थी सं 4 व 5 एवं अप्रार्थी सं. 19 से 22 ने सोमादरी वालों की पिछले तारीख से जरिए इकरारनामा, उक्त सहखातेदारी की भूमि को बिना विभाजन की भूमि के विशिष्ट कराए, उक्त भूमि	

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

रवि बनाम कानाराम

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

नाम न्यायालय

केस संख्या 01 40/24

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष टिप्पणी
	18/7/25	भू-भाग पर विक्रय करके पुख्ता निर्माण कराने पर आमादा है। कानून, प्रत्येक सहखातेदार का अविभाजित भूमि पर प्रत्येक इंच पर कब्जा माना जाता है इसलिए प्रथम दृष्टया केस प्रार्थी के पक्ष में सबल है। और उक्त विवादित भूमि पक्षकारान की सहखातेदारी की कृषि भूमि है, जिस पर सभी पक्षकारान अपने-अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं, इसलिए सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में है। अतः प्रार्थी का प्रा०पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण	

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

रवि बनाम पाबाराम

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

केस संख्या 40/24

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	16/7/24	को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे। अप्रार्थी सं. 19 लगा० 22 ने दौराने बहस अपने जवाब में अंकित कथनों की पुनरावृत्ति करते हुए कथन किया कि उक्त वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी व प्रार्थी के सगे भाई अप्रार्थी सं. 1 लगा० 3, अप्रार्थी सं. 4,5, 14, 23 लगा० 25 द्वारा अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि का बेचान भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड को वर्ष 1998-99 में कर दिया था जिसे बाहमी बंटवारे अनुसार अपने-अपने	

सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

रवि बनाम [illegible]

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

केस संख्या ट्टी-40/24

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	
	18/7/25	हिस्से की भूमि में उक्त सोसायटी को खसरा नं. 161 व 167 में कब्जा संभला दिया गया। उक्त सोसायटी द्वारा मौके पर खसरा नं. 161 व 167 में भूखण्ड काट कर रोड डालकर आवासीय कॉलोनी काट कर भूखण्ड जारी कर दिये गये जिसमें भूखण्डधारी मय विद्युत कनेक्शन पुख्ता तामीरात कर शांतिपूर्वक उपयोग-उपभोग करते आ रहे हैं। अप्रार्थीगणों ने कथन किया कि प्रार्थी द्वारा अपने हिस्से की भूमि का पूर्व में बेचान कर कब्जा सोसायटी को संभला	

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

प्रार्थी बनाम अप्रार्थीगण

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

केस संख्या Ti - 40124

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	18/7/25	दिया गया था। प्रार्थी का मौके पर कोई कब्जा काश्त नहीं है, इसके विपरीत उत्तरदातागण अपने हिस्से की भूमि पर काबिज-काश्त है तथा उपयोग-उपभोग कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया केस प्रार्थी के पक्ष में ना होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में सबल है। और जब प्रार्थीगण का मौके पर कोई कब्जा काश्त नहीं है तो अपूरणीय क्षति कारित होने की संभावना है इसके विपरीत यदि उत्तरदातागण को किसी प्रकार के स्थगन से प्रतिबंधित किया जाता है तो राज० कास्तकारी	

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

रवि बनाम कानाराम

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

केस संख्या Ti 40/24

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष टि
	18/7/25	अधिनियम 1955 के अनुसार प्रदत्त वैधानिक अधिकारों का हनन होगा व अपूरणीय क्षति कारित होगी। अतः प्रार्थी का प्रा०पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थी/उत्तरदातागण खारिज फरमाया जावे। अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, न्यायिक दृष्टान्तों का गहनतापूर्वक अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि प्रार्थी ने यह प्रा० पत्र दावा बाबत विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा के साथ पेश (हस्ताक्षर)	

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

नाम न्यायालय

[illegible] बनाम [illegible]

केस संख्या [illegible]

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	18/7/25	किया है, जिसमें प्रार्थी ने खसरा नं. 161, 163, 164, 165, 166, 167 कुल खसरे 06, कुल रकबा 5.9954 हे०, ग्राम निवारु, पटवार हलका निवारु, तहसील व जिला - जयपुर पर अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया है। चूंकि अप्रार्थीगण 19 लगा० 22 ने सशपथ कथन किया है कि खसरा नं. 161 व खसरा नं. 167 में प्रार्थी एवं अन्य खातेदारों द्वारा अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि का बेचान [illegible] गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड को किया जाकर	

सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

रवि बनाम आमजन

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर [illegible]पुर शहर प्रथम

केस संख्या Ci 40/24

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	18/7/25	कब्जा संभला दिया गया है। एवं उक्त सोसायटी द्वारा मौके पर खसरा नं. 161 व 167 में भूखण्ड काटकर, रोड डालकर आवासीय कॉलोनी विकसित कर दी गयी है। इस प्रकार खसरा नं. 161 व 167 की भूमि आवासीय उपयोग में आ रही है। ऐसी स्थिति में इन खसरा नं. 161 एवं 167 पर ना तो प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला बनता है और ना ही सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में दिखायी देता है। ~~एवम्~~ इन दो खसरों के अतिरिक्त

(हस्ताक्षर)

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

रवि बनाम [illegible]

केस संख्या [illegible] 540/24

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	16/12/25	शेष खसरों पर प्रार्थी काबिज कास्त है अथवा नहीं, यह वाद में मौका - कमिश्नर की रिपोर्ट से तय होना है। यदि इस स्तर पर व्यादेश पारित नहीं किया गया तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति कारित होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः वाद की विषय-वस्तु को संरक्षित रखने के लिए आदेशित किया जाता है कि खसरा नं. 161 व 167 पर मौके की यथास्थिति इस आशय की बनाए रखें कि वाद के	

सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

नाम न्यायालय

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष वि
	18/7/25	अंतिम निस्तारण तक कोई नवीन निर्माण ना करें एवं शेष खसरों पर मौके की यथास्थिति वाद के अंतिम निस्तारण तक इस आशय की बनाए रखें कि एक सहखातेदार, दूसरे सहखातेदार के कब्जे-काश्त में दखल ना दे, विशिष्ट भू-भाग पर कब्जे का प्रयास ना करें। निर्णय आज दिनांक 18/7/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। दर्ज नम्बर से कम हो	

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम